18.02.2025 पत्रावली पेश। वकीलान उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता
द्वारा काउन्टर T.I. का जवाब पेश ~~किया~~ नहीं
किया है। अतः जवाब काउन्टर बन्द किया जाता है।
उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण
अधिवक्ता द्वारा ग्राम पालड़ी के गोलासियान में स्थित
व जमाबंदी अधिकार पत्र आराजी अप्रार्थी 02
के नाम दर्ज है जो अप्रार्थी 02 प्रार्थीगण के पिता है।
जिसमें प्रार्थीगण का अप्रार्थी 01 में नाम दर्ज कृषि
खसरा संख्या 263, 264, 266, 313, 314, 315, 316, 346,
347, 348, 349, 352, 353, 56/303, 1360/309, कुल रकबा
9.06 हे., ख संख्या 354 रकबा 0.86 हे. तथा ख.नं. 355
रकबा 1.08 हे. में अप्रार्थी 01 का 1/3 हिस्सा स्थित है।
इसके अलावा खसरा संख्या 356 रकबा 1.40 हे., ख.नं. 357
रकबा 1.[illegible] 358 रकबा 2.91 हे., खसरा संख्या
24 रकबा 1.22 हे., [illegible] नम्बर 34 रकबा 1.00 हे., ख.नं. 538
रकबा 0.90 हे, खसरा नम्बर 539 रकबा 0.82 हे की आराजी

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:36:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खसरा 04 का 1/8 हिस्सा है जिसमें प्रार्थीगण का अप्रार्थी के हिस्से में से 1/3, 1/3 हिस्सा खातेदारी का तथा कब्जाकाश्त का आया हुआ है जिसमें प्रार्थीगण का रहवासी मकान है तथा प्रार्थीगण काबिज काश्त है परन्तु अप्रार्थी 01 वर्तमान में बुरी नियत की बदौलत से आवेदक प्रार्थीगण से कब्जे व कब्जे काश्त की भूमि को बेचान कर प्रार्थीगण को बेदखल करने की फिराक में है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे।

जवाब अप्रार्थी 01 ने अधिवक्ता ने जवाब प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खस अप्रार्थी 01 की स्वअर्जित भूमि है प्रार्थीगण द्वारा मेरी ~~पाल~~ पालन पोषण नहीं करते तथा जीवन यापन हेतु मुझे खर्चा नहीं देते है मैं अपने जीवन यापन हेतु उक्त आराजी पर निर्भर हूं। मेरी स्वअर्जित आराजी पर मेरे जीवनकाल में प्रार्थीगण का कोई हक नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज करावे तथा मेरी कब्जाकाश्त की आराजी में प्रार्थीगण किसी प्रकार की ~~के~~ दखलअन्दाजी ~~नहीं~~ करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण को पाबन्द करावे।

मैंने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होना नहीं पाया जाता है तथा न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी 01 रेकोर्डेड खातेदार है जिसे यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका गया तो अप्रार्थी 01 को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का सारहीन व पोषणीय नहीं होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी 01 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार [illegible] नहीं करे। पत्रावली फैसलशुदा [illegible] की पालना प्रार्थीगण स्पष्ट हो।

(sd)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:36:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner